कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

2797
24 MAY 2019

परिपत्र

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली की स्वीकृति से आप सभी को 'संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर जारी किए गये राष्ट्रपति के आदेशों का अनुपालन' विषय पर दिल्ली सरकार से प्राप्त पूर्ववर्ती पत्रों संख्या फा.सं.8 (5)2007–भाषा/2994–3145 दिनांक 26/08/08 (संलग्नक सहित), पत्र संख्या फा.सं.8(5)2007–भाषा/2911–2990, दिनांक 26/08/08, पत्र संख्या फा.सं.8 (5)2007–भाषा/6932–7001 दिनांक 19/11/07 व गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या I/20012/02/2008–रा.भा.(नीति–1) की प्रतिलिपियाँ इस उद्देश्य के साथ प्रेषित की जा रही है कि इनमें उल्लिखित सरकारी कामकाज को राजभाषा हिंदी में आवश्यक तौर पर किए जाने के प्रावधान व निर्देश हैं।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि इनको अवलोकन व पठन करते हुए इनमें दिए गए निर्देशों व प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में निष्पादित करवाएँ।

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली–सह–
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली

संख्या 33398–33598/हिन्दी/237–238/2019
दिल्ली, दिनांक 22/5/19

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है–

1. समस्त माननीय विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम, नई दिल्ली, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण–पूर्व, पूर्व, उत्तर–पूर्व, शाहदरा, उत्तर–पश्चिम, उत्तर जिला, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. विद्वत प्रधान न्यायाधीश/अति. प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त विद्वान न्यायिक अधिकारीगण, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
4. सभी समितियों के विद्वत अध्यक्ष, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. कार्यालय मुख्य महानगर दण्डाधिकारी, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
6. प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
7. समस्त न्यायिक जिलें के सभी नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।
8. सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
9. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, राजभाषा हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय, उत्तर–पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण–पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण–पूर्व, पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर–पूर्व, दिल्ली/नई दिल्ली।
10. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/प्रशासनिक अधिकारी(न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
11. आहरण एवं संवितरण अधिकारी व लेखा अधिकारी, लेखा अनुभाग, केन्द्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
12. उप–सचिव/हिन्दी अधिकारी, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
13. वेबसाइट समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।
14. प्राप्ति एवं निर्गम शाखा, इस अनुरोध सहित की इसे लेयर्स के द्वारा केन्द्रीयकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित/प्रतिस्थापित करने का कार्य करें।

माननीय प्रभारी अधिकारी हिन्दी अनुभाग

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली–सह–
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर–पश्चिम)
District & Sessions Judge (North-West)
रो. नी न्यायालय, दिल्ली
Rohini Courts, Delhi
25/05/2019

402

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ/प) जिला न्यायालय रोहिणी दिल्ली

17847– 17915

संख्या..................परिपत्र/हिन्दी अनुभाग (उ/प)/रोहिणी/2017 दिल्ली, दिनांक 28/5/19

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम) के निदेशानुसार परिपत्र संख्या 33396-33598/हिन्दी/237-238/2019 दिल्ली, दिनाँक 22/05/2019 (संलग्नको सहित) जो कि श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, दिल्ली द्वारा निर्गमित किया गया है की प्रतिलिपि को सूचना एवं इसके अनुपालन हेतु जिला न्यायालय उत्तर-पश्चिम के सभी माननीय न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अनुभाग प्रभारियों को प्रेषित किया जाता है।

पूजा अग्रवाल 28-05-19.

संलग्नक : उपर्युक्त

(पूजा अग्रवाल)
महानगर दण्डाधिकारी/नोडल अधिकारी
राजभाषा अनुभाग (हिन्दी) (उ/प)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, पाँचवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं.8(06)2007–भाषा/2994–3145

दिनांक 26/8/08

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्थानीय निकाय।
2. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल, दिल्ली ।
3. विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली ।
4. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
5. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांसको लि., शक्ति सदन, कोटला रोड, नई दिल्ली ।
6. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेज–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
7. विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस.बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
8. रजिस्ट्रार, दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली ।
9. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी, दिल्ली ।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डायरी संख्या 9290 ...13
21/08/08
दिल्ली

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेशों का अनुपालन ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में इसके साथ संलग्न निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 12.8.08 के पत्र संख्या 20034/3/2007–हिन्दी का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें उन्होंने विभागों द्वारा संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्डों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों पर ठीक तरह से और दृढ़तापूर्वक अमल न किये जाने का उल्लेख किया है ।

इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि राजभाषा नियम, 1976, 1987 में यथा संशोधित के नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम के तहत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन सुनिश्चित करना एवं इसके लिये उपयुक्त एवं प्रभावी जांच बिंदु स्थापित करना प्रत्येक कार्यालय प्रमुख का उत्तरदायित्व है । संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर राष्ट्रपति के आदेश राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना बाध्यकारी है एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

उपरोक्त के अलावा इस विभाग द्वारा संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों के खण्डों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये आदेशों को समस्त विभागों में दृढ़तापूर्वक लागू करने के लिये समय–समय पर निदेश जारी किये गये हैं ।

आपसे अनुरोध है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.8.08 को जारी किये गये संलग्न कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें और इस संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में इस परिपत्र के जारी होने के 15दिन के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(राम किशन)
हिन्दी अधिकारी
फोन : 23392330

फा.सं.8(06)2007–भाषा/2994–3145

दिनांक 26/8/08

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 12.8.08 के पत्र संख्या 20034/3/2007–हिन्दी के संदर्भ में ।
2. अवर सचिव (नीति–1) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली को उनके दिनांक 18.9.07 के पत्र संख्या I/20012/07/2005–रा.भा.(नीति–1) के संदर्भ में ।
3. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली को उनके दिनांक 18.8.08 के संदर्भ में ।

(राम किशन)
हिन्दी अधिकारी

पृ.- 63

D-37-J

3A6/

1

E-37

संख्या : 20034/3/2007-रा.भा.

भारत-सरकार
गृह-मंत्रालय

Office of the Chief Secretary
Govt. of N.C.T. Delhi
18 AUG

नई दिल्ली, दिनांक 08 अगस्त, 2008

12 AUG 2008

GAD/08/30547

कार्यालय-ज्ञापन

विषय : संसदीय राजभाषा-समिति की संस्तुतियों पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का अनुपालन।

ऊपर दर्शाए गए विषय पर राजभाषा-विभाग के दिनांक 21 अप्रैल, 2008 के कार्यालय-ज्ञापन सं. I/20012/02/2008-रा.भा. (नीति-I) की एक प्रतिलिपि, इसके साथ अवलोकन और अनुपालन के लिए भेजी जा रही है।

2. संसदीय राजभाषा-समिति द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों और उनके नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे विभिन्न कार्यालयों/ निगमों/ उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों के काम-काज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का जायजा लेने के लिए किए गए निरीक्षण के बाद प्रस्तुत किए गए अपने प्रतिवेदन के आठवें खंड में, केन्द्र-सरकार के कुछ मंत्रालयों/ कार्यालयों/ निगमों/ उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों द्वारा, अपने (संसदीय राजभाषा-समिति के) प्रतिवेदन के सात खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों पर ठीक तरह से और दृढ़तापूर्वक अमल नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है।

3. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976, 1987 में यथा संशोधित, के नियम-12 में किए गए प्रावधान के अनुसार, सरकार की राजभाषा-नीति के ठीक तरह से अनुपालन के बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों पर ठीक तरह से अमल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और प्रभावी जाँच-बिन्दु बनाकर उन्हें कड़ाई से लागू करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, प्रत्येक कार्यालय/ संगठन के प्रमुख (वरिष्ठतम अधिकारी) द्वारा निभाई जानी है।

4. अतः कृपया संसदीय राजभाषा-समिति द्वारा अभी तक प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा पारित किए गए आदेशों और सरकार की राजभाषा-नीति के समुचित कार्यान्वयन के बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों-अनुदेशों पर ठीक तरह से और दृढ़तापूर्वक अमल किया जाना सुनिश्चित करने की कारगर व्यवस्था की जाए और इस बारे में की गई कार्रवाई से इस मंत्रालय को अवगत करा दिया जाए, जिससे कि राजभाषा-विभाग को तदनुसार सूचित किया जा सके।

संलग्नक : ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार।

(अवधेश कुमार मिश्र)
निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष सं० : 23092998

गृह मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे सभी कार्यालयों के अध्यक्ष / संघ-राज्य-क्षेत्रों के प्रशासक।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित : निदेशक (तकनीकी और नीति-1), राजभाषा-विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली को राजभाषा-विभाग के ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में।

9260

22 Aug 2008

प्रति महाप्रबन्धक/अनुभाग-3/अतिरिक्त/समन्वय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी-विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं.8(05)2007-भाषा/2911-2990

दिनांक: 22/8/08

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्थानीय निकाय ।
2. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल, दिल्ली ।
3. विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली ।
4. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
5. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांसको लि0, शक्ति सदन, कोटला रोड, नई दिल्ली ।
6. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरुणालय फेस-2, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
7. विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस.बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
8. रजिस्ट्रार, दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली ।
9. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी, दिल्ली ।

(2)

विषय: संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के 8वें खण्ड में की गई सिफारिशों पर अपेक्षित कार्यवाही करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस विभाग के दिनांक 19.11.07, 18.1.08 तथा 26.5.08 के तत्संबंधित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये 8वें प्रतिवेदन में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित संस्तुतियों/सिफारिशों पर समस्त विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये अनुरोध किया गया है :-

1. केन्द्रीय राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार संकल्पों, साधारण आदेश, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों और किसी कार्यालय/निगम द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिये तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्रारूपों के लिये हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही प्रयोग में लाई जायें ।
2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार किसी भी विभाग में हिन्दी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना अनिवार्य है ।
3. अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं और सेवा अभिलेखों में हिन्दी/द्विभाषी एक स्टाम्प की सहायता से रूटीन प्रविष्टियां की जा सकती हैं ।
4. दिल्ली सरकार के किसी विभाग में कोड/मैनुअल केवल अंग्रेजी में तैयार न किये जायें और इस समय अंग्रेजी में मौजूद समस्त कोड/मैनुअल एक वर्ष के भीतर हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनवाने के लिये इस विभाग को अनुवाद के लिये भेजे जायें ।
5. जब भी कोई विभाग या स्थानीय निकाय/उपक्रम अपनी वैबसाइट तैयार करे तो वह अनिवार्य रूप से द्विभाषी तैयार की जाये । जिस विभाग की वैबसाइट केवल अंग्रेजी में है, उस विभाग द्वारा उसे हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।
6. सरकार के समस्त विभागों/उपक्रमों/निगमों के समस्त कम्प्यूटरों पर हिन्दी सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से डाला जाये ।

क्र-67

D-327

7. यदि कोई विभाग विज्ञापन देना चाहता है तो वे अंग्रेजी के अखबार में हिन्दी के विज्ञापन भी दे सकते हैं और सभी विभाग विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित करायें। इन विज्ञापनों पर कुल राशि का न्यूनतम 50प्रतिशत हिन्दी और 50प्रतिशत अंग्रेजी एवं प्रान्तीय भाषाओं पर खर्च किया जाये।

8. उपक्रमों/निगमों में विद्यमान सभी स्वदेशी और विदेशी यंत्रों/संयंत्रों पर समस्त विवरण हिंदी या द्विभाषी रूप में दर्ज किये जायें।

9. भविष्य में सभी उपक्रमों/निगमों के प्रतीक चिन्ह/लोगो या तो द्विभाषी अथवा चित्रात्मक बनवाए जायें।

10. उपक्रमों/निगमों द्वारा निर्यात योग्य समस्त सामग्री पर आवश्यक विवरण हिंदी या द्विभाषी रूप में ही अंकित किए जायें।

11. उपक्रमों/निगमों के लेटर, बिल-वाउचर जैसे मुद्रित सामग्री और प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त सामग्री अनिवार्य रूप से हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जाए।

12. सभी उपक्रमों/निगमों की वेबसाइट शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में तैयार की जानी चाहिये तथा उनपर वे अपने कार्य-कलापों और उत्पादों के बारे में अंग्रेजी के साथ-साथ अनिवार्य रूप से हिंदी में भी जानकारी उपलब्ध कराएं।

सूचित किया जाता है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा उपरोक्त की गई सिफारिशों पर कार्यवाही करके उसकी रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर इस विभाग को भिजवाने का अनुरोध किया गया था लेकिन अभी तक आपके विभाग से इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

आपसे पुनः अनुरोध है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा उपरोक्त की गई सिफारिशों पर तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही करने के पश्चात उसकी रिपोर्ट इस विभाग को दिनांक 5.9.08 तक भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम किशन)
हिन्दी अधिकारी
फोन : 23392365
दिनांक: 26/8/08

फा.सं.8(05)2007-भाषा/2911-2991
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 12.8.08 के पत्र संख्या 20034/3/2007-हिन्दी के संदर्भ में।
2. अवर सचिव (नीति-1) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली को उनके दिनांक 19.9.07 के पत्र संख्या I/20012/07/2005-रा.भा.(नीति-1)।

(राम किशन)
हिन्दी अधिकारी

अति महत्वपूर्ण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

[illegible](05)2007–भाषा/2932-7001 | दिनांक: 19.11.07

सेवा में,

10064/B
20/11/07

1. समस्त विभागाध्यक्ष, दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्थानीय निकाय ।
2. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल, दिल्ली ।
3. विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली ।
4. महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
5. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांसको लि0, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली ।
6. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
7. विशेष कार्याधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस.बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
8. रजिस्ट्रार, दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली ।
9. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी, दिल्ली ।

विषय: संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के 8वें खण्ड में की गई सिफारिशों पर अपेक्षित कार्यवाही करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में देखने का कष्ट करें । सूचित किया जाता है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये 8वें प्रतिवेदन में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये की गई निम्नलिखित संस्तुतियों/सिफारिशों पर समस्त विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है :–

1. केन्द्रीय राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार संकल्पों, साधारण आदेश, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रैस विज्ञप्तियों और किसी कार्यालय/निगम द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिये तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा–प्रारूपों के लिये हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही प्रयोग में लाई जायें ।
2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार किसी भी विभाग में हिन्दी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना अनिवार्य है ।
3. अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं और सेवा अभिलेखों में हिन्दी/द्विभाषी रबड़ स्टाम्प की सहायता से रूटीन प्रविष्टियां की जा सकती हैं ।
4. दिल्ली सरकार के किसी विभाग में कोड/मैनुअल केवल अंग्रेजी में तैयार न किये जायें और इस समय अंग्रेजी में मौजूद समस्त कोड/मैनुअल एक वर्ष के भीतर हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनवाने के लिये इस विभाग को अनुवाद के लिये भेजे जायें ।
5. जब भी कोई विभाग या स्थानीय निकाय/उपक्रम अपनी वैबसाइट तैयार करे तो वह अनिवार्य रूप से द्विभाषी तैयार की जाये । जिस विभाग की वैबसाइट केवल अंग्रेजी में है, उस विभाग द्वारा उसे हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

D-184

D-185

(S)

6. सरकार के समस्त विभागों/उपक्रमों/निगमों के समस्त कम्प्यूटरों पर हिन्दी सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से डाला जाये ।
7. यदि कोई विभाग विज्ञापन देना चाहता है तो वे अंग्रेजी के अखबार में हिन्दी के विज्ञापन भी दे सकते हैं और सभी विभाग विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित करायें । इन विज्ञापनों पर कुल राशि का न्यूनतम 50प्रतिशत हिन्दी और 50प्रतिशत अंग्रेजी एवं प्रान्तीय भाषाओं पर खर्च किया जाये ।
8. उपक्रमों/निगमों में विद्यमान सभी स्वदेशी और विदेशी यंत्रों/संयत्रों पर समस्त विवरण हिंदी या द्विभाषी रूप में दर्ज किये जायें ।
9. भविष्य में सभी उपक्रमों/निगमों के प्रतीक चिन्ह/लोगो या तो द्विभाषी अथवा चित्रात्मक बनवाए जायें ।
10. उपक्रमों/निगमों द्वारा निर्यात योग्य समस्त सामग्री पर आवश्यक विवरण हिंदी या द्विभाषी रूप में ही अंकित किए जायें ।
11. उपक्रमों/निगमों के शेयर, बिल–वाउचर जैसे मुद्रित सामग्री और प्रचार–प्रसार संबंधी समस्त सामग्री अनिवार्य रूप से हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जाए ।
12. सभी उपक्रमों/निगमों की वेबसाइटें शत–प्रतिशत द्विभाषी रूप में तैयार की जानी चाहिये तथा उनपर वे अपने कार्य–कलापों और उत्पादों के बारे में अंग्रेजी के साथ–साथ अनिवार्य रूप से हिंदी में भी जानकारी उपलब्ध करायें ।

आपसे अनुरोध है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा उपरोक्त की गई सिफारिशों पर तुरन्त कार्यवाही शुरू करने का कष्ट करें और इस पर की गई कार्यवाही के संबंध में इस विभाग को तीन सप्ताह के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(राम किशन)
हिन्दी अधिकारी
फोन : 23392366
दिनांक: 19.11.07

फा.स.8(06)2007–भाषा/6732–780)
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अवर सचिव (नीति–1) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली को उनके दिनांक 19.9.07 के पत्र संख्या I/20012/07/2005–रा.भा.(नीति–1) ।

(राम किशन)
हिन्दी अधिकारी

I/20012/02/2008-रा.भा.(नीति-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय,

राजभाषा विभाग

लोक नायक भवन, खान मार्किट,

नई दिल्ली, दिनांक : 17 अप्रैल, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेशों का अनुपालन ।

संसद के 30 सदस्यों को लेकर गठित की गई संसदीय राजभाषा समिति राजकीय प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करके इस बारे में अपनी सिफारिशों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है जिस पर संघ के विभिन्न कार्यालयों द्वारा अनुपालन के लिए राष्ट्रपति द्वारा उपयुक्त आदेश दिये जाते हैं । संसदीय राजभाषा समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के 8 खंड प्रस्तुत कर चुकी है जिनमें से 7 खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किये जा चुके हैं और ये आदेश संघ के विभिन्न कार्यालयों द्वारा अनुपालन के लिए परिचालित किये जा चुके हैं।

2. राजभाषा विभाग को विभिन्न मंचों से यह सिफारिश/सुझाव प्राप्त हुए हैं कि संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर राष्ट्रपति के आदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन हो । राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम के तहत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन सुनिश्चित करना एवं इसके लिए उपयुक्त एवं प्रभावी जाँच बिंदु स्थापित करना प्रत्येक कार्यालय प्रमुख का उत्तरदायित्व है । संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों पर राष्ट्रपति के आदेश राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(5) के अंतर्गत जारी किये जाते हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना बाध्यकारी है एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

3. संसदीय राजभाषा समिति ने मंत्रालय/विभाग वार हिंदी प्रयोग की प्रगति के निरीक्षण के उपरांत प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन के आठवें खंड में यह उल्लेख किया है कि कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में इन आदेशों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है । उच्चस्तरीय समिति की इस टिप्पणी को गंभीरतापूर्वक लेते हुए राजभाषा विभाग इस बात पर पुनः बल देना चाहेगा कि सभी मंत्रालय/विभाग संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेशों का अपने अधीनस्थ/संबद्ध सहित सभी कार्यालयों में पूर्ण एवं त्वरित अनुपालन की सुदृढ़ व्यवस्था करें ।

(राकेश कुमार)

निदेशक (तकनीकी तथा नीति-1)

दूरभाष : 24617695

सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)

I/20012/02/2008-O.L.(Policy-1)
Government of India
Ministry of Home Affairs
Department of Official Language
***

Lok Nayak Bhavan, Khan Ma...
New Delhi, Date: 21st April, 20...

OFFICE MEMORANDUM

Subject:-Compliance of the Orders of the President on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language.

The Committee of Parliament on Official Language, consisting of 30 Members of Parliament, is mandated to review the progress made in the use of Hindi for official purposes and to submit its report. On its report, appropriate orders of the President are issued for compliance by the various offices of the Union. The Committee of Parliament on Official Language have so far submitted VIII parts of its report out of which President's Orders have been issued on the first VII parts and these orders have been circulated to various offices of the Union for due compliance.

The Department of Official Language have received recommendations/suggestions from various fora that the Orders of the President issued on the recommendation of the Committee of Parliament on Official Language should be strictly adhered to. According to Rule 12 of the Official Languages Rules, 1976, it is the responsibility of the administrative head of each Central Government Office to ensure the compliance of the orders issued by the Government under the Official Languages Act and to devise suitable and effective check points for this purpose. The Orders of the President, on the recommendations of the Committee of Parliament on Official Language are issued under the provision of 4(5) of the Official Languages Act, 1963. To ensure compliance of these orders is obligatory and very vital for the implementation of the Official Language policy.

3. The Committee of Parliament on Official Language, have mentioned in 8th volume of its report, submitted after inspection of Ministry/Department wise progress of use of Hindi, that some Central Government Ministries/Departments have not taken necessary actions on these orders. Taking this recommendation of the Committee of Parliament on Official Language seriously, the Department of Official Language would re-emphasis that strict and strong arrangements should be made by all the Ministries/Departments including its subordinate/attached offices for complete and expeditious implementation/compliance of the orders of the President on the recommendations of the Committee of Parliament on Official Language.

(Rakesh Kumar)
Director (Technical & Policy-1)
Tele: 24617 695

To

The Joint Secretaries (Admn.) of all Ministries/Departments of Government of India